

कार्यालय आदेश

शासकीय विज्ञप्ति संख्या KA-NI-1014/XI-9(52)/17-U.P.GST Rules-2107-order(31)-2017 दिनांक 21.07.2017 द्वारा उत्तर प्रदेश में माल के परिवहन के दौरान या अभिवहन भण्डारण में माल ले जाने पर अलग-अलग स्थितियों में माल के साथ-साथ ई-वे बिल 01, ई-वे बिल 02, ई-वे बिल 03 एवं टी0डी0एफ0 01 रखा जाना विहित किया गया है तथा यह प्ररूप विभागीय वेबसाइट <http://comtax.up.nic.in> से डाउनलोड किये जाने हैं । इस क्रम में विभाग द्वारा परिपत्र संख्या स0द0जी0एस0टी0/माल परिवहन/2017-18/1017/ वाणिज्य कर दिनांक 22.07.2017 के माध्यम से ई-वे बिल 01, ई-वे बिल 02, ई-वे बिल 03 एवं टी0डी0एफ0 01 की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी तथा प्रश्नगत विज्ञप्ति दिनांक 26.07.2017 से प्रभावी होने का प्राविधान किया गया था । ई-वे बिल की प्रश्नगत व्यवस्था के संदर्भ में व्यापारिक संगठनों, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, कपड़ा व फ़ैब्रिक के व्यापारियों के अनुरोध पर परिपत्र संख्या स0द0जी0एस0टी0/माल परिवहन /2017-18/1028/ वाणिज्य कर दिनांक 27.07.2017 द्वारा उपरोक्त विज्ञप्ति के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 16.08.2017 निर्धारित की गयी थी । पूर्व में परिपत्र दिनांक 22.07.2017 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में सेण्ट्रल एक्साइज/सेवाकर के माध्यम से जी0एस0टी0 में माइग्रेट करने वाले तथा जी0एस0टी0 में नया पंजीयन प्राप्त करने वाले व्यापारियों को फार्म डाउनलोड करने में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । अतः उक्त संदर्भित ई-वे बिल व्यवस्था के प्ररूपों को डाउनलोड करने की प्रक्रिया निम्नवत् संशोधित की जाती है ।

पंजीकृत व्यापारियों/ई-कॉमर्स आपरेटर/कुरियर अभिकर्ताओं/अभिकर्ताओं के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया -

ई-वे बिल 01, ई-वे बिल 02, ई-वे बिल 03 डाउनलोड करने हेतु व्यापारियों को सर्वप्रथम निम्न प्रक्रिया के अनुसार विभागीय वेबसाइट <http://comtax.up.nic.in> पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा:-

जिन व्यापारियों द्वारा जी0एस0टी0 में माइग्रेसन कर लिया गया है अथवा उनके द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत नया रजिस्ट्रेशन लिया गया है तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिये " **Registration for Registered Dealer** के लिंक पर क्लिक करना होगा । तदोपरान्त व्यापारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म उपलब्ध होगा जिसमें व्यापारी द्वारा जी0एस0टी0 अंकित करके सम्बंधित जोन, सम्भाग, लोकेशन सेक्टर, फर्म का नाम, पंजीयन तिथि तथा व्यापार स्थल का पता सहित समस्त **Entry fields** को व्यापारी द्वारा स्वतः अंकित करते हुए सम्बंधित ई-वे बिल के प्रकार को चयनित किया जायेगा । एक व्यापारी तीनों प्रकार के ई-वे बिल में से एक या एक से अधिक ई-वे बिल का चयन कर सकता है ।

व्यापारी द्वारा रजिस्ट्रेशन फार्म में मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 अंकित करना अनिवार्य होगा । सम्बंधित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 पर वेरीफिकेशन हेतु **One time password (OTP)** प्रेषित किया जायेगा । व्यापारी द्वारा अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित **(OTP)** को अंकित कर वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर मोबाइल तथा ई-मेल को वेरीफाई करना अनिवार्य होगा । ऑनलाइन पंजीयन उक्त समस्त विवरणों के अंकन के पश्चात व्यापारी द्वारा जी0एस0टी0 अथवा एस0पी0एन0 से सम्बंधित पंजीयन सार्टिफिकेट अपलोड किया जायेगा । व्यापारी द्वारा उपर्युक्त अंकित समस्त विवरणों को **Submit** करके व्यापारी के रजिस्टर्ड ई-मेल तथा मोबाइल पर **user id** तथा **Password** प्रेषित किया जायेगा जिसके माध्यम से व्यापारी द्वारा ई-वे बिल डाउनलोड किया जा सकता है ।

